the technical assistance...(*Interruptions*)...After completing the feasibility report, ...(*Interruptions*)... We are happy to inform you...(*Interruptions*)...as regards river linking projects, ...(*Interruptions*)...we are absolutely confident...(*Interruptions*)...

With these words, I thank all the Members who participated in the debate ...(*Interruptions*)... At this juncture, ...(*Interruptions*)... With these words, I conclude ...(*Interruptions*) ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned at eighteen minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Statement made on 25.04.2005 relating to Sabarmati Express accident

विपक्ष के नेता (श्री जसवन्त सिंह) : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जो कुछ भी मुझे निवेदन करना है, वह बहुत ही संकोच से और खेद से मैं निवेदन कर रहा हूँ। सदन में, सदन के बाहर, पिछले दो-तीन दिनों में जो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यह किसी प्रकार से देश, या जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए, या जो हमने प्रणाली अपनाई है उसके लिए एक स्वस्थ परंपरा दर्शाता है या सही मार्ग है। अभी मैं इसका ज्यादा विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम यह आज का ही विचार कर लें तो बहुत। कल माननीय रेल मंत्री द्वारा एक वक्तव्य हुआ था, उस वक्तव्य में कुछ बातें कही गई थीं, जो हमारी ओर के सदस्यों का विचार था कि ठीक नहीं है। मेरे वरिष्ठ सदस्य, सहयोगी और मित्र माननीय यशवंत जी ने जब चेयरमैन साहब की अनुमति से खड़े होकर अपनी बात रखनी चाही, तो आपत्ति हुई सत्ता पक्ष के लोगों को और उन लोगों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया। आपने भी फिर यशवंत जी को बैठा दिया और सत्ता पक्ष को कहा कि आप कह दें, जो कुछ भी, जिस विषय का भी जवाब हुआ।

महोदय, रेलवे का एक्सीडेंट हो, चर्चा हो, उस पर रेलवे के जो भी मंत्री हों, वे अपना एक वक्तव्य देते हैं, यह सदैव से होता आ रहा है, परन्तु रेल मंत्री उस वक्तव्य में कुछ अन्य बातें जोड़ें या उससे पहले जो कैबिनेट है, वह रात को मिलकर निर्णय कर लें कि उसमें दोषी कौन है, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं उल्लेख नहीं करना चाहता था, फिर भी सन् 1997 में जो रेल मंत्री थे, अब वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हैं, राम विलास पासवान जी, उस समय रेल का एक्सीडेंट हुआ। जब वे वहां गए, तो विरोध प्रकट किया गया था और उन पर हमला भी हुआ था। हम यह नहीं कहते कि कहीं भी, किसी पर भी हमला हो, वह सही है। कहीं भी, किसी पर भी हमला होगा, वह गलत है। परन्तु, तथ्य तो मालूम हों, हम चाहते क्या थे? हमने यही निवेदन किया था कि माननीय रेल मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, उसमें एक चौथा पैराग्राफ है, जिसमें ऐसी संस्थाओं का उल्लेख है, जिन संस्थाओं का कोई प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं, क्या उनका उल्लेख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति संसद में सदस्य न हो, साधारणतया

उसका उल्लेख भी नही होता। खैर, वह भी मंजूर नही हुआ, जो अपने आप मे सोचने वाली बात थी इनके लिए भी, चेयर के लिए भी और सभी मित्रो के लिए भी। फिर केन्द्र के किसी भी मंत्री पर अगर कोई मामला कोर्ट में, कचहरी में दाखिल होता है और उसमे धारा 420 या दूसरी ऐसी धाराएं हो, जो कुछ भी हैं, मैंने अगले दिन एक उल्लेख किया था, विधि मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, विधि मंत्री बहुत विद्वान हैं, अनुभवी हैं और हमारे लिए जो कुछ भी वह कहें, उसको हमे बड़ी गंभीरता से लेना है, लाजमी हैं... उनका कहना था कि इस पर अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपसभापति जी, मैंने अगले दिन अपने कुछ मित्रों से उल्लेख किया था कि मैं गाव मे जन्मा हूं, और वहां लोगों को कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है। कानून की वह दो धाराएं क्या हैं, यह तो उन्हे नहीं मालूम, लेकिन उनके नम्बर जरूर मालूम हैं। एक 10 नम्बर है और एक 420 है। अब, ये क्यों हैं, इसके ऊपर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा निवेदन यह था कि जब ऐसा चार्ज लगे, तो हम सोचते हैं कि मर्यादा की मान्यता यह है कि उन्हें स्वतः, अपने आप हट जाना चाहिए, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए। केवल यही दो बातें ही तो थीं कि जो चौथा पैराग्राफ है, वह न हो और जब इस प्रकार के चार्ज लगे हैं, जब तक वे चार्ज खत्म न हो जाएं, वे हट जाएं।

मैं इस बात को जानता हूं, मैं भी छः वर्ष तक यहां सदन का नेता था। हमारे मित्र, जो कि अब गवर्नर हैं, इसलिए मैं उनका उल्लेख करना भी सही नहीं समझता, उन पर भी एक चार्ज लगा था और उन्होंने तुरन्त छोड़ दिया और वे आज भी गवर्नर हैं। इस सब को देखते हुए, जब माननीय यशवंत सिन्हा जी को बोलने भी न दिया गया और जिस प्रकार का वातावरण फैला, उससे हमें बहुत खेद हुआ। अपनी बहुत ही साधारण-सी बात हम यहां पर रखना चाहते थे, यदि उसे भी हमें नहीं रखने दिया जाता है और सभी कुछ सत्ता पक्ष की मनमानी से किया जाना है, तो फिर हमारी यहां पर उपस्थिति का उद्देश्य ही क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप यह चाहते ही नहीं कि हम यहां हों, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि आप इस विषय पर क्या करना चाहते हैं, हम आज के दिन यहां शरीक़ नहीं हो सकते।

माननीय उपसभापति जी, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि इसका अर्थ यह न लगाया जाए कि जो विषय हमने उठाए हैं, वे विषय शांत हो गए हैं। वे विषय शांत नहीं हुए हैं, बल्कि उनके साथ पिछले दो-तीन दिन में बहुत सारे मसले, और जुड़ गए हैं। बहुत ही संकोच के साथ, मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि यहां नेता सदन के नाते कई बार ऐसे मौके आए जबकि यहां पर, उन दिनों में जो प्रतिपक्ष के नेता थे और आज ईश्वर की कृपा से प्रधान मंत्री हैं, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि वे प्रधान मंत्री हैं, किन्तु आज वे इस सदन के नेता भी हैं, जो प्रश्न यहां उठे हैं, यदि हमें यह कह दिया जाता कि सदन के नेता अभी नहीं आ सकते, वे अमुक काम में व्यस्त हैं और वे बाद में यहां आकर बात को समझा देंगे, तो निश्चय ही हमें कुछ संतोष रहता, लेकिन हमें तो शुरू से यह कहा गया कि आपकी बात तो हम सुनेंगे ही नहीं। आज जो सदन के नेता हैं और प्रधान मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में रात को ही तय कर लिया जाता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, फिर सदन के नेता का रोल यहां क्या रह जाता है। इसीलिए, हमारी तीसरी मांग यह है कि सदन के नेता यहां आएं और हमें समझाएं कि बिना किसी जांच के यह निर्णय कैसे ले लिया गया है, और जब

तक यह नहीं किया जाता है, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। माननीय उपसभापतिजी, हम आपकी इजाज़त से आज के लिए वॉक आउट कर रहे हैं।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपसभापति जी, मेरा नाम लिया गया है...

श्री उपसभापति : नहीं, आपका नाम नहीं लिया गया है, रेलवे मंत्री बोला गया है।

एक माननीय सदस्य : आप अभी क्यों जा रहे हैं, जवाब सुनकर जाइए, इस तरह पीठ दिखा कर मत जाइए।

श्री उपसभापति : नहीं, आप ऐसा मत बोलिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, गुजरात में जो रेल हादसा हुआ मानवीय भूल की वजह से, कल इस सदन में और लोक सभा में भी माननीय सदन को सच्चाई से अवगत कराने का जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है वह हमने किया। महोदय, मानवीय भूल के चलते जो हमारे भाई-बहन मारे गए, इसमें 16 लोग मारे गए जिसमें दो हमारे लोग हैं -एक ड्राईवर और एक असिस्टेंट ड्राईवर। गुजरात के मुख्य मंत्री* हेटरैड पैदा करने के लिए उस दिन सुबह से ही मीडिया और देश भर में प्रचार कर रहे थे कि दो सौ लोग मारे गए हैं।

श्री उपसभापति : नाम न लीजिए। He cannot defend. नाम नहीं लें।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यहां सदन में कल पूरी बात हमारे राज्य मंत्री द्वारा रखी गई। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज भी, कल भी और लगातार मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उस पर हम कायम हैं। महोदय, मेरे साथ में दिल्ली के सारे मीडिया के लोग गए हुए थे और जब वहां हमारी गाड़ी के शीशे टूट गए तो मुझे अफसोस है कि मैं अपने बहुत सारे घायल भाई-बहनों को और जो मरे हुए लोग थे उनको देख नहीं सका जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। महोदय, वहां मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, काम में बाधा डाली गई तथा बर्फ की सिल्ली प्लास्टिक के खोल में भर करके इस ख्याल से जब मैं गाड़ी में बैठा था क्योंकि राज्य सरकार की कोई गाड़ी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तथा पुलिस बिल्कुल मूकदर्शक थी। अस्पताल के ऊपर से और डिब्बों से मेरे सिर पर बर्फ की सिल्ली गिराई गई और जो दाएं बाजू से लगता हुआ यह पूरा पानी-पानी हो गया। उन्होंने कोशिश तो की यह समझ कर कि बर्फ की सिल्ली गिरा रहे हैं लेकिन वह पानी बन गया हमारे शरीर को टच करता हुआ। महोदय, वे लोग बिल्कुल बजरंग दल और आर0एस0एस0 का पट्टा लगाकर भारत माता की जय तथा वन्देमातरम का नारा लगा रहे थे और गालियां दे रहे थे और हम पर चारों तरफ से हमले हुए। गाड़ी के शीशे टूट गए। महोदय, कहीं घाव कहीं पांव, भाजपा के लोग - चाहें

---

* Expunged as ordered by the Chair.

जसवन्त जी हों या * हों, यह जो कहीं घाव और कहीं पांव, मुझे न जाने ये कितनी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। हमको उस नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं जबकि गुजरात के दंगों के दौरान हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। अमेरिका जैसे राष्ट्र ने वहां के मुख्य मंत्री को उस देश में आने की मनाही कर दी कि इस आदमी को यहां आने की जरूरत नहीं है कि वह इस तरह का है, इनको कैसे अलंकृत किया जाए क्योंकि देश और दुनियां में लोगों को इनका पता है। महोदय, अब यह नैतिकता का पाठ लालू यादव जैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्यो नहीं * को इस समय यशवंत जी और सलाह दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नाम निकाल दें।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, बात तो सुनिए। महोदय हम लोग गाली सुन करके और अपमान सुन करके इनकी थोथी दलील से, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह संगठन कैसा संगठन है। एक झूठ को हजारों बार बोलो ताकि लोग सच समझें। महोदय, यह है संघ परिवार, यह है इसकी खूबसूरती, यह है इनका मन और मिजाज, क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया, क्यों नहीं सैट किया उनको और हमको सलाह दे रहे हैं। महोदय, एन0डी0ए0 के राज्य में बड़े पैमाने पर रेल की हालत बिगड़ी और बड़े पैमाने पर हमारे भाई-बहन मारे गए। इसका हमारे पास एक चार्ट है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2001-2002 में 414 रेल दुर्घटनाएं हुईं। हताहत यात्रियों की संख्या 144 हुई जिसमें लेबिल क्रौसिंग और उससे हताहतों की संख्या 326 हुई। वर्ष 2002-03 में यह संख्या 351 हुई, 157 जगह पर रेल दुर्घटना हुई और 418 लोग हताहत रेलवे क्रासिंग वगैरह में हुए। वर्ष 2002-03 में 351 की संख्या मैंने बताई और 2003-04 में 325 रेल दुर्घटनाएं हुईं और हताहतों की संख्या 135 और 297 एनडीए के राज़ में और वर्ष 2004-05 में 234 रेल दुर्घटनाएं हुईं और अब ये हमको उपदेश दे रहे हैं कि नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए, नैतिक मूल्यों का आदर करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। बात रेल दुर्घटना की नहीं है, इनको रेल हादसे से कुछ लेना-देना नहीं है कि लोग मारे गये या नहीं मारे गये।

उपसभापति महोदय, जापान जैसे देश में आज रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 52 यात्री मारे गये हैं, पहले भी मारे गये हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। पैदल चलते हुये, बसों में चलते हुये, रेल में चलते हुये, हेलीकाप्टर में चलते हुये, जहाज में चलते हुये दुर्घटनाएं होती हैं, इनके बारे में कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि कैसे कमी की जाये। लेकिन कहीं घाव और कहीं पाव, यह टारगेट करके असल में जो मैंने गोधरा कांड की जांच कराई है, हमारी सरकार ने यह जांच कराई, उससे आहत होकर के ये हमें टारगेट कर रहे हैं। इनको रेल दुर्घटना से एक बहाना मिला है, इनका रेल दुर्घटना से कुछ लेना-देना नहीं है। महोदय, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ । वे कौन लोग थे, विश्व हिन्दू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे और इनके एक

---

* Expunged as ordered by the Chair.

* मंत्री, एक मंत्री को मैं जानता हूं, दो और मंत्री थे, वे टेलीफोन पर बात कर रहे थे, टेलीफोन से कहीं न कहीं से बड़े आदमी* पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, इधर से जवाब जा रहा था कि सब ठीक हो रहा है। हमारे साथ यह हुआ है और ये बता रहे हैं, सी.डी. निकाल रहे हैं, लालू यादव असत्य बोल रहा है। महोदय, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं, इस कौम ने कभी पलायन को, कायरता को स्वीकार नहीं किया है। अगर हमारे साथ यह घटना नहीं घटती, तो मैं कभी अपनी जुबान से बोलने वाला नहीं था कि हमारे साथ यह घटना घटी है। महोदय, देश और दुनिया ने देखा है, दिल्ली के सारे टेलीविजन के लोग गये थे, यह हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये हमें बोलेंगे, चारा चोर, खजाना चोर। महोदय, फाल्स एंड फेब्रिकेटिड तरीके से, एक ही चार्ज पर कई-कई केस बनाये गये हैं। महोदय, जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो न जाने हमें कितना अपमानित किया जाता है, कितना हमें टार्चर किया जा रहा है, कितना हमारी पार्टी को और परिवार को* कम्युनल फोर्सेस के द्वारा हमको तंग और तबाह किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, लेकिन हम पीछे भाग जाने वाले नहीं हैं। इस देश में से साम्प्रदायिकता का जहर जब तक हम नहीं निकाल के फैंक देते हैं, ये मत भूल जाइये, मैं कोई पदलोलुप नहीं हूं, मुझे कोई पावर का नशा नहीं है, मैं किसी कीमत पर आपसे समझौता नहीं कर सकता हूं। महोदय, मैंने आज प्रधान मंत्री जी को बताया, अपनी सरकार को बताया और जब रिपोर्ट आने लगी, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि गवर्नर से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाये, राज्य सरकार से रिपोर्ट ली जाये, तब से ये बड़े बेचैन हैं। यह रेल दुर्घटना और फोडर स्कैम की बात नही है, इनको डर हो गया है कि इस बार धारा- 356 लगने वाली है। इनको मालूम है, इनके मन में ऐसा अहसास हुआ है, ऐसा विश्वास हुआ है और मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि यह फिट केस बनता है तो वहां के एडीजे, वहां के पुलिसकर्मी, वहां की पुलिस के पदाधिकारी ने न्यायालय में हलफनामा दिया है कि दंगा के दौरान किस तरह से वहां के मुख्य मंत्री के इन्स्ट्रक्शन आये थे, लिखित बयान है, महोदय, बयान लिखा हुआ है जो उसने दिया है कि ज्यों ही कोई आदमी रथ के आगे आये, तो रौंद डालो, नेस्तनाबूद कर दो। महोदय, मैं सरकार में हूं, तो कोई रेल मंत्री बनने के लिए नहीं हूं। मैं सरकार में हूं और यूपीए की जो हमारी सरकार बनी है, हम एक ही सवाल पर खड़े हैं और कल तक हम खड़े रहेंगे, आगे भी हम खड़े रहेंगे, साम्प्रदायिकता हमारा निशाना है। देश का एक नम्बर का अगर कोई शत्रु है, यह साम्प्रदायिक और कम्युनल फोर्सेज* हमको यह पाठ पढ़ा रही हैं कि केस हो तो इस्तीफा देना चाहिए। साढ़े तीन साल तक* के सवाल पर दोनों सदन सुचारू रूप से नहीं चले। *डिफैंस मिनिस्टर, जिनका देश की रखवाली करने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है -- दो महीने, तीन महीने, तीन साल तक हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया। तब क्यों नहीं इनसे इस्तीफा लिया था और उनकी नैतिकता कहां चली गयी थी, यह मैं जानना चाहता हूं। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं और कल भी रहूंगा, चाहे जो भी नतीजा हो -- मेरे ऊपर जो हमला बजरंग दल और आरएसएस ने किया है, *के मार्गदर्शन में - लालू यादव एक इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। हम अपने आरोप पर कायम हैं। क्या ये हमें पढ़ाएंगे? ये पीठ दिखाते हैं। महोदय, भागा-भागा *

* Expunged as ordered by the Chair.

कोई यहां से गया, एक * गये दूसरे * की जांच करने। बीजेपी जाएगी, बीजेपी की जांच करने। सीडी बना रहे हैं। लालू यादव को कुछ हुआ ही नहीं है। यह सब क्या है? महोदय, देहात में कहा जाता है कि "चोर की दाढ़ी में तिनका।" जब तुम निर्दोष थे, तुम्हें मालूम था -- न जाने कहां से क्या बातें लीक हो गयीं -- जल्दी-जल्दी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी बैठाई। जल्दी-जल्दी -- कैसे उसको खबर लग गयी कि भारत सरकार, ऐसा लगता है कि कुछ करने वाली है, लालू प्रसाद ने काफी मजबूती से सरकार को कहा है -- ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कमीशन बनाया ताकि मामले को रफा-दफा कर दिया जाए कि हम तो ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करवा रहे हैं। महोदय, यहां चारा कांड का मामला नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट को destabilize करने के लिए एक conspiracy है। महोदय, मैंने बड़ी guarded language में कल बयान दिया था और यहां भी दिलवाया था। सच तो और आगे था। अभी हमने कहा, * को अलग मिलकर हमने कहा कि कम से कम इस अवस्था में आपको लोग उठाकर लाए हैं। टीवी पर एक इंटरव्यू करने जब* गए थे तो आपने कहा कि आजकल मेरे पास कोई काम नही है।

श्री उपसभापति : *का नाम मत लीजिए क्योकि वे उस हाऊस के मैंबर हैं और यहां पर वे डिफेंड नहीं कर सकते। *का नाम निकाल दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं जो कह रहा हूं, मैं उस पर कायम हूं। मैं किन्हीं चीजों की परवाह नहीं करता। सच सच होता है। "सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से।" ...**(व्यवधान)**... यह कपट है कि बैठें वे, जिनके घर में आग लगी हो। महोदय, जो आहत थे, वे वही लोग थे जिन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को जलाया था। उन्हीं लोगों ने हमला किया था जिन्होंने लोगों को चुन-चुनकर गुजरात में जलाने का काम किया* । इस देश में इन ताकतों के खिलाफ हमारी जंग और जेहाद जारी है इसलिए इन्होंने फायर बैक किया था और बैनर्जी आयोग की जो इंटेरिम रिपोर्ट आयी है -- इनका आरोप था कि मुसलमानों ने बाहर से आग लगाई, ऐसा नहीं था, सच यह नहीं था, यह नहीं निकला। उस रिपोर्ट में, अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि आग अंदर से लगी। उस रिपोर्ट में श्री बैनर्जी ने कहा है कि 90 प्रतिशत कारसेवक थे। सबके हाथ में त्रिशूल थे। ये लोग वहां से आहत हैं।

श्री उपसभापति : लालू जी, दूसरा सबजैक्ट लेना है।

श्री लालू प्रसाद : इसलिए ये लोग वहां से आहत हैं, यहां हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। महोदय, यह सब हमें भी आता है। हमें भी गालियां देनी आती हैं लेकिन केन्द्र में मंत्री रहने के नाते मैं ख्याल करता हूं कि क्या हमें बोलना है या नहीं बोलना है। इसलिए कहीं घाव और कहीं पाव। मुझे अफसोस है कि इस देश में कल अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता पर हमला होगा तो हम लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि उसके पक्ष में बोलें या न बोलें जैसा हमने कुछ पार्टियों के नेताओं को देखा है। महोदय, मुझे अफसोस है कि कल हमला हो, जानलेवा हमला हो और हम लोग भी मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे। यह जो हमारे साथ हुआ है,

*Expunged as ordered by the Chair.

ये कुछ भी कर सकते हैं। महोदय, मैं यह पढ़कर सुना देता हूं। सारे मीडिया के लोग वहां गए थे। "आज तक" के संवाददाता सुकेश रंजन अपने मुख्यालय को वहां से क्या फीड कर रहा है। सुकेश रंजन लिख रहे हैं, "देखो संजय -- संजय अपने आदमी को बोल रहे हैं - मैं लालू यादव के साथ में था। साथ साथ घटना स्थल पर गया। पहली बार स्टेशन पहुंचे। वहां बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता थे। उन्होने लालू यादव, मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी भीड़भाड़ थी। वहां लालू ठीक से इंस्पैक्ट नहीं कर पाए। वहां से उनको आनन-फानन में लौटना पड़ा। पुलिस स्टाफ द्वारा गाड़ी पर बैठाया गया। उसके बाद सीधे अस्पताल गए। हम उनकी गाड़ी के पीछे अस्पताल तक पहुंचे। अस्पताल घुसने में, अस्पताल के अंदर घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद किसी तरीके से अंदर घुस पाए। काफी लोग वहां भी विश्व हिंदू परिषद्, बजरंग दल के थे जो लालू यादव गो बैक, लालू यादव मुर्दाबाद, वंदे मातरम् के नारे लगा रहे थे।"

"आज तक" टी.वी. के जो रिपोर्टर दिल्ली से वहां गए थे, यह उनका कहना है --

"मैं उस वक्त वहीं पर, घटनास्थल पर मौजूद था। मैंने देखा कि चारों तरफ से कुछ लोग उनकी गांड़ी को लात से मार रहे थे, जैसे कि लालू यादव की गाड़ी को तोड़ने की उनकी मंशा रही हो। जब वे बाहर निकले तो मैंने अपने कैमरे से शूट भी किया, क्योंकि मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं था, इसलिए मैंने खुद शूट करने की कोशिश की। दो-चार पत्थर मैंने गिरते हुए देखे, एकाध पानी का पाउच उनके बदन पर लगा भी। मैंने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे निकले, जैसे ही गाड़ी अस्पताल से निकल रही थी तो हम लोगों ने देखा कि पीछे का शीशा टूटा हुआ है। लालू यादव गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, यह तो मैंने घटनास्थल पर शीशा टूटते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वे अस्पताल से बाहर निकल रहे थे तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा, किसने पत्थर से मारा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बी.जे.पी. का यह कहना कि वे जब airport पहुंचे, तब उन्होंने गाड़ी का शीशा टूटा पाया, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बात में सच्चाई नहीं लगती है। मैं वहां पर खुद मौजूद था। मैं कह सकता हूं कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोगों ने गाड़ी का शीशा टूटा हुआ पाया।"

महोदय, सुकेश रंजन ने अपने हेडक्वार्टर को यह फीड किया, सारे टी.वी. चैनलों ने फीड किया। सारी दुनिया ने देखा, हमारी पत्नी ने फोन किया, बच्चों ने फोन किया कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है? महोदय, टी.वी. पर लोगों ने देखा, देश भर के लोगों ने देखा, इसलिए 356 की वजह से* के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गुजरात जल रहा था, वह बंसी बजा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा। गुजरात में केस को ट्रांसफर किया और शबाना आज़मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी और एक इंडियन मिनिस्टर पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया और ये हाय-तौबा मचाए हुए हैं कि बजरंग दल का, आर.एस.एस. का नाम निकाल दीजिए।

श्री उपसभापति : हमारे पास कोई विषय नहीं है, आपने बोल दिया है Mr. Laluji, now, we have to take up the other subject.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री लालू प्रसाद : इसलिए मैं अपनी सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि वहां उनको डिसमिस करके 356 लगाओ और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, एक मिनट... एक मिनट। जब मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर चार्जशीट हुआ था, चार्ज फ्रेम हुआ था, तब लोक सभा में अटल जी ने बयान दिया था -- "Neither the Constitution nor the law disqualifies a Minister from holding office merely because a charge-sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court." यह उनका बयान है, यह नैतिकता है और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए। टिन्टेड, टिन्टेड... सुप्रीम कोर्ट ने वहां से भी डिसमिस किया और ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? यह तय होगा महोदय, आज यह तय होगा सारी पार्टियों से मिलकर कि जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होगा, जिस भी पार्टी का मंत्री होगा, वह इस्तीफा देगा तो लालू यादव उसे स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन रेल एक्सीडेंट से इनका कोई मतलब था? कहीं घाव है और कहीं पाव है ! ये इसका इंतज़ार कर रहे थे, हमको टीच कर रहे थे, हमको सबक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन यह देश सबों का देश है। यह* का, आर.एस.एस. का और बजरंग दल का देश नहीं है। निश्चित रूप से जो तौर और तरीका हो सकता है लोकतंत्र में, जैसा व्यवहार इन्होंने किया है, वह निश्चित रूप से हम देशवासियों के सामने रखेंगे।

श्री उपसभापति : जो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे* उनके नाम को निकाल दीजिए। ...**(व्यवधान)**... जहां-जहां जो डिफेंड नहीं कर सकते, उनका नाम लिया गया है, उनको रूल के हिसाब से हटा दें। ...**(व्यवधान)**... जो डिफेंड नहीं कर सकते, मैंने बोला है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : He was referring to * Government. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am very clear, Mr. Narayanasamy. ...*(Interruptions)*... वह नहीं बोला है। वह आता रहता है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : आदरणीय उपसभापति महोदय, सदन में विपक्ष के सम्मानित नेता जसवन्त सिंह ने कुछ मुद्दे उठाए। अच्छा यह होता कि उन मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, उसे सुनने के लिए भी, वे यहां कृपापूर्वक मौजूद होते। उनकी अनुपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि उन्होंने जो बिन्दु उठाए हैं, उनका सरकार की तरफ से जो उत्तर आएगा, वे उसे सुनने की स्थिति में गम्भीर नहीं हैं और इसीलिए अपनी पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन करके गए हैं। उन्होंने दो-तीन चीजों का जिक्र किया है। उस संबंध में, हमारे रेल मंत्री जी ने बहुत कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन जो दो-तीन बातें उभरकर आई हैं, पहला उन्होंने प्रधानमंत्री जी को उद्धृत किया है कि कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिया, रेल दुर्घटना और रेल दुर्घटना के समय आदरणीय रेल मंत्री जी दुर्घटना स्थल पर गए और उन पर जो प्राण-घातक हमला हुआ, उसके सिलसिले में। दूसरा प्रधानमंत्री जी इस संबंध में कुछ बोलें और तीसरा उन्होंने रेल मंत्री जी के सदन के वक्तव्य का जिक्र किया।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

मान्यवर, मैं बिन्दुवार इन तीन बातों तक ही सीमित रहूंगा। जहां तक रेल मंत्री जी के सदन के वक्तव्य का प्रश्न है मान्यवर, सदन हमेशा नियम और परम्परा से चला करता है। जिस महान आसन्दी पर आप विराजमान हैं, उस आसन्दी से समय-समय पर जो निर्देशन दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही का संचालन होता है। 25 मार्च, 1992 को जब तत्कालीन गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और उस समय, उस पर सवालिया निशान दीपेन घोष जी, खुद यशवंत सिन्हा जी, गुरूदास दासगुप्ता जी और अन्य सदस्यों ने उठाए थे, तो उस समय आसन्दी से यह रूलिंग व डायरेक्शन दी गई थी कि "Ministers are responsible for the statement made by them". इसी प्रकार Practice and Procedure of Parliament, Kaul and Shakdhar, के पृष्ठ 409 में इस बात का उल्लेख है, जब 8 दिसम्बर, 1949 और 17 फरवरी,1960 को इसी प्रकार की बात मंत्रियों के वक्तव्यों के संबंध में आई थी, तो Kaul and Shakdhar में इस बात का जिक्र है कि "When a statement is made by a Minister on his own authority, Members cannot ask him to verify the facts from some other authority. माननीय रेल मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी और जवाबदारी लेकर दिया है। उस पर किसी भी प्रकार के सवालिया निशान Kaul and Shakdhar के इस उल्लेख के अनुसार नहीं उठाए जा सकते हैं। उसका एक अलग तरीका है। जैसा कि आदरणीय सभापति महोदय ने प्रश्न काल के दौरान ही, आसन्दी से यह व्यवस्था दे दी कि यदि विपक्ष को किसी बात पर ऐतराज है तो नियमानुसार आप उस चीज को लिखकर भेजिए। उसके बावजूद भी आसन्दी के द्वारा दिए गए निर्देशन का पालन न करना और उसके विपरीत विपक्ष के कुछ सदस्यो और खास तौर से दो-चार सदस्यों के द्वारा ऐसा व्यवहार करना कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को अपने कर्त्तव्य -निर्वहन से रोका जाए, उनको धमकी दी जाए, यह निश्चित रूप से सदन में की जाने वाली कार्यवाही के व्यवधान की परिधि में आता है। ...(व्यवधान)... मान्यवर, इसमें क्या-क्या हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो बात है और जो चार्जेज के मामले हैं, उसमें अपनी बात कहें, तो रेल मंत्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का जिक्र किया। जब अयोध्या प्रकरण पर, इस सदन में और उस सदन में चर्चा चल रही थी और ऐसे अयोध्या प्रकरण जिसमें एक या दो लोगों की जानें नहीं गईं, बल्कि सैकड़ों लोगों की जानें गईं और लाखों लोगों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ और इस देश के जो महान देशभक्त, नागरिक हैं, उनका सिर शर्म से झुक गया। ऐसी स्थिति उस अयोध्या प्रकरण के बाद निर्मित हुई...। मैं सोचता हूं कि वह एक सबसे जबर्दस्त क्रिमिनल ऑफेंस था। इन्होंने धाराओं का उल्लेख किया है कि ये-ये धाराएं लगी हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं और इसे सदन की कार्यवाही पर लाना चाहता हूं कि जब अयोध्या प्रकरण में धाराओं का उल्लेख किया गया था, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, विश्व हिन्दू परिषद्, आर.एस.एस. के लोग और अन्य लोगों पर जो धाराएं लगी थीं, वे क्रिमिनल कांसपीरेसी 120 (बी) की लगी थीं। उस समय जो धाराएं लगी थीं, वे causing disaffection among religious groups -- 153 लगी थीं, उस समय जो धाराएं लगी थीं, वे रॉयटिंग की 147, 149 आदि की लगी थीं। ये सारी बातें हैं। अलग-अलग पैमाने पर, अलग-अलग लोगों को देखा जाना और उनके संबंध में बात किया जाना, बिल्कुल न्यायोचित्त नहीं है। अभी यह बात आती है कि लालू प्रसाद जी इस्तीफा दें। उस समय क्या हुआ था जब अयोध्या प्रकरण की बात हो रही थी? मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसे सदन के रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी ने तो एक अंश पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन उस समय, जब 7

दिसम्बर, 1999 को इस अयोध्या प्रकरण का मामला आया था, तब सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते लोक सभा में यह कहा था, मैं इसे उद्धृत करना चाहता हूं, "Neither the Constitution nor the law disqualifies a Minister from holding office merely because a charge-sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court." आगे शायद लालू प्रसाद जी ने मेरे पढ़ने के लिए छोड़ा है, वह यह है : "The question as to who should be in the Council of Ministers is one of Prime Ministerial discretion, and sense of political propriety. Many circumstances are relevant to the final decision of the Prime Minister on these issues. In view of the fact that no change in the position of court cases has taken place ever since the Ministers concerned were inducted into office..." उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि जब तक चार्जेस प्रूव नहीं हो-जाते, तब तक किसी को गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता। अब यह एकदम "यू" टर्न वाली स्थिति कैसे हो रही है? उस समय जब इन्होंने एक बात कही थी तो आज दूसरी बात क्यों कही जा रही है? मान्यवर, यह कोई पहली बात नही है। जब माननीय लालू प्रसाद जी ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भी यह जो कथित चारा घोटाला केस है, जो अभी कोर्ट के सामने विचाराधीन है, इसमें क्या निर्णय होगा, क्या नहीं होगा, इस संबंध में मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से बोल रहा हूं। इसलिए लेकिन पहले से कोई इंफ्रेन्स निकाल लिया जाए, उस समय भी इनके खिलाफ कुछ केसिस में चार्जेस फ्रेम हुए थे, लेकिन चार्जेस प्रूव नहीं हुए। कांस्टीट्यूशल पोजीशन यह है कि प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 मे कि कोई भी आदमी, जब तक कि वह कंविक्ट नहीं होता है, तब तक वह उस श्रेणी में नही आता है कि हम उसे दोषी करार दें। आज वह उस स्टेज में नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन दाखिल हुई, वह सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हुई है, लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री पर हमले की स्थिति वहां तब निर्मित हुई जब माननीय रेल मंत्री जी, रेल दुर्घटना स्थल पर, रेल दुर्घटना से प्रभावित लोगों की मदद करने के नजरिए से गए थे। उस समय उन पर यह प्राणघातक हमला हुआ था। यह रिपोर्ट एक या दो जगह की नहीं है, अन्य स्रोतों की भी रिपोर्ट है। अच्छा तो यह होता कि रेल मंत्री जी, रेल दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मदद करने के जिस नजरिए से गए थे, वहां की गुजरात राज्य सरकार उन्हें उसमें सहयोग प्रदान करती। इसके बावजूद हुआ क्या? अच्छा तो यह होता कि सदन के विपक्ष के नेता कृपापूर्वक यह बताते कि रेल मंत्री जी जब दुर्घटना स्थल पर गए थे तब क्या राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अगर वे इस बात पर प्रकाश डालते तो मैं सोचता हूं कि वह ज्यादा अच्छी बात होती। मान्यवर, इन सारी बातों पर रेल मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने उन नामों का उल्लेख नहीं किया है, जो एफ. आई. आर. में दर्ज हैं, उन नामों का उल्लेख नहीं किया है, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने केवल संगठन का जिक्र किया है ...(व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : उपसभापति जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, जिन तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की बात कही जा रही है, उनसे त्याग पत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये अगर अपने आप भी त्याग पत्र दे देगे, तो भी मैं त्याग पत्र वापस कर दूंगा।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता (बिहार) : यह बात समझने की जरूरत है।

श्री लालू प्रसाद : बात वह नहीं है साहब, 356 से कैसे बचें, इसके लिए है यह सब।

श्री सुरेश पचौरी : इसलिए मैं आपके जरिए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी पर जब प्राणघातक हमला हुआ था, तो इस सदन ने उस निंदनीय कृत्य के लिए चिंता व्यक्त की थी। अच्छा यह होता कि उस पर चर्चा होती, बजाय इसके कि उस बात को उठाना और उसे वक्तव्य की तरफ डाइवर्ट कर देना, मैं सोचता हूं कि जरूर इसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। अच्छा यह होता कि विपक्ष के माननीय नेता यह बताते कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई केन्द्रीय मंत्री अगर किसी राज्य में जाएगा, तो उस राज्य में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है और यदि उस जिम्मेदारी का पालन वह राज्य नहीं करता है, तो कानूनन और संविधान के तहत उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है, इस बात की possibilities explore की जानी चाहिए। जब इन सब बिंदुओं से हटकर हम केवल वक्तव्य तक सीमित रहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इसमें जरूर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" वाली कहावत इनके साथ चरितार्थ हो रही है। ये दूसरों को तो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनके शब्दकोश और कार्य-पद्धति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, वे नैतिकता की बात करें, वे संविधान की बात करें, वे नियम और कानून की बात करें तो यह बिल्कुल अर्थहीन और बेवजह बात है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the discussion on the working of the Ministries of Social Justice and Empowerment and Tribal Affairs. Shri Dipankar Mukherjee will initiate the discussion.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRIES OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT AND TRIBAL AFFAIRS

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I rise to move a discussion on the working of the Ministries of Social Justice and Empowerment and Tribal Affairs. But, at the outset, I must say that with a very heavy heart, I am initiating this discussion. While the issues relating to the Ministries of Social Justice and Empowerment and Tribal Affairs, the mandates of these Ministries, concern 42 per cent of the population, it is unfortunate that we do not have the Opposition in the House. Shri Lalu Prasad Yadav was talking about a challenge to the country. Apart from communalism, what is the real challenge we are confronted with? The other challenge before us is the social justice. Today, I rise with a heavy heart because we are having this discussion but we are not finding the Opposition in the House. Yesterday also, a serious thing - when hearing a statement was laid on the Table of the House - was allowed to happen. This is a reflection on how the House is working. Yesterday also, when we were discussing the Statement laid by the Railway Minister on the railway